

**न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर**  
**(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)**

**फाइलिंग नंबर 235103007042014**

**दांडिक प्रकरण क.-591/14**

**संस्थापित दिनांक-08.10.14**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <span style="float: right;">.....अभियोजन</span>	
<b>विरुद्ध</b>	
01-विजय रामपाल पुत्र मुल्ला उर्फ भोला रामपाल उम्र 20 साल निवासी ग्राम पाडरी, रघुवीर के मकान के पास, थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0। <span style="float: right;">.....आरोपी</span>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

**:- निर्णय :-**

**(आज दिनांक 07.01.2017 को घोषित)**

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 457, 380 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कल्लू यादव ने दिनांक 17.05.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह व उसका साला छत पर सो रहे थे। उसकी पेंट की जेब में 5000 रुपये नगद व एक इंटेक्स कंपनी का मोबाइल जिसमें आईडिया की सिम नंबर 8959404512 व 9977357906 तथा दो जीबी मेमोरी कार्ड डले थे एवं उसके साले बलवीर की शर्ट की जेब में 500 रुपये व एक चायना मोबाइल जिसमें आइडिया सिम नंबर 8889929802 डली थी। कोई अज्ञात चोर पीछे की दीवार से चढ़कर छत पर आकर उसके पेंट की जेब से मोबाइल व नगदी रुपये 5000 रुपये तथा उसके साले की शर्ट की जेब से चायना मेड मोबाइल व नगदी 500 रुपये चोरी करके ले गया। वह उसके मोबाइल व पैसों की तलाश करता रहा तलाश के दौरान घटना दिनांक से तीन-चार दिन बाद चोरी गए मोबाइल में डली सिम नंबर 8959404512 से उसकी बात हुई। मोबाइल धारक से घुमा-फिराकर पूछने पर उसने बताया कि यह सिम उसे विजय रामपाल निवासी पाडरी ने दिया है व नाम धर्मेन्द्र सिंह इंडियन बस का कंडक्टर होना बताया एवं धर्मेन्द्र ने उसे वह सिम दे दी। उसने विजयराम पाल से पूछा तो उसने बताया कि उसे वह सिम मिली थी। उसे मोबाइल, सिम व नगदी रुपये विजयराम पाल ने ही चोरी किए, ऐसा उसे संदेह था। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 203/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 457, 380 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में

प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 380, 457 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.04.14 को रात्रि में फरियादी कल्लू यादव के घर की छत से उसके पांच हजार रुपये नगद, एक इंटेक कंपनी का मोबाईल जिसमें आईडिया कंपनी की सिम क्रं. 8958404512 तथा 9977357906, दो जीबी का मैमोरी कार्ड तथा बलवीर के पांच सौ रुपये, एक चाईना निर्मित मोबाईल जिसमें आईडिया की सिम क्रं. 8889929802 चुराये, जो कि धारा 380 भादवि के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय से पूर्व फरियादी कल्लू यादव के आधिपत्य के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह भेदन किया, जो कि धारा 457 भादवि के अंतर्गत दंडनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कल्लू सिंह, अ.सा. 02 गिरवर सिंह, अ.सा. 03 बलवीर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 कल्लू सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को कोई अज्ञात व्यक्ति उसका मोबाइल, मेमोरी कार्ड तथा उसके साले बलवीर के 500 रुपये चोरी करके ले गया था जिसकी उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी विजय राम चोरी करके ले गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 02 का ए से ए भाग पुलिस को दिया था। इसी प्रकार अ.सा. 02 गिरवर सिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 02 के अनुसार चोरी के बारे में उसे फरियादी ने बताया था, किंतु चोरी किसने की इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने भी पुलिस कथन प्रपी 05 पुलिस को देने से इंकार किया है। अ.सा. 03 बलवीर ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है तथा फरियादी को भी जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वे लोग छत पर सो रहे थे तब रात्रि में कोई व्यक्ति 500 रुपये, मोबाइल चोरी करके ले गया था। इसके संबंध में उसके जीजा ने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार चोरी किस व्यक्ति ने की, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 03 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी द्वारा चोरी नहीं की गई।

08— अभिलेख पर अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट है कि न केवल मामले का फरियादी, बल्कि अन्य साक्षीगण भी पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में यह बताया है कि आरोपी द्वारा उक्त चोरी नहीं की गई और न ही रात्रि में फरियादी के घर में प्रवेश किया गया। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में घुसा था जिसके द्वारा चोरी कारित की गई, किंतु वह व्यक्ति आरोपी नहीं था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहीं प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि में घुसा था तथा यह भी प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी कल्लू के घर क छत से 5000 रुपये, मोबाइल, मेमोरी कार्ड तथा बलवीर के 500 रुपये एवं एक मोबाइल की चोरी कारित की गई।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 457 एवं 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक आईडिया कंपनी की सिम नंबर 89917871120217683391एच-2 एवं मोबाइल नंबर 8889929802, एक दो जीबी मेमोरी कार्ड, एक आईडिया कंपनी की सिम जिसका नंबर 89917811130256475396एच-2 एवं मोबाइल नंबर 8959404512 एवं 1100 रुपये फरियादी कल्लू एवं बलवीर को पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर उनकी संपत्ति उन्हें अपीलावधि पश्चात वापस की जावे।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)